Adda247
GET IT ON Google Play

Daily Current Affairs
13 August 2026

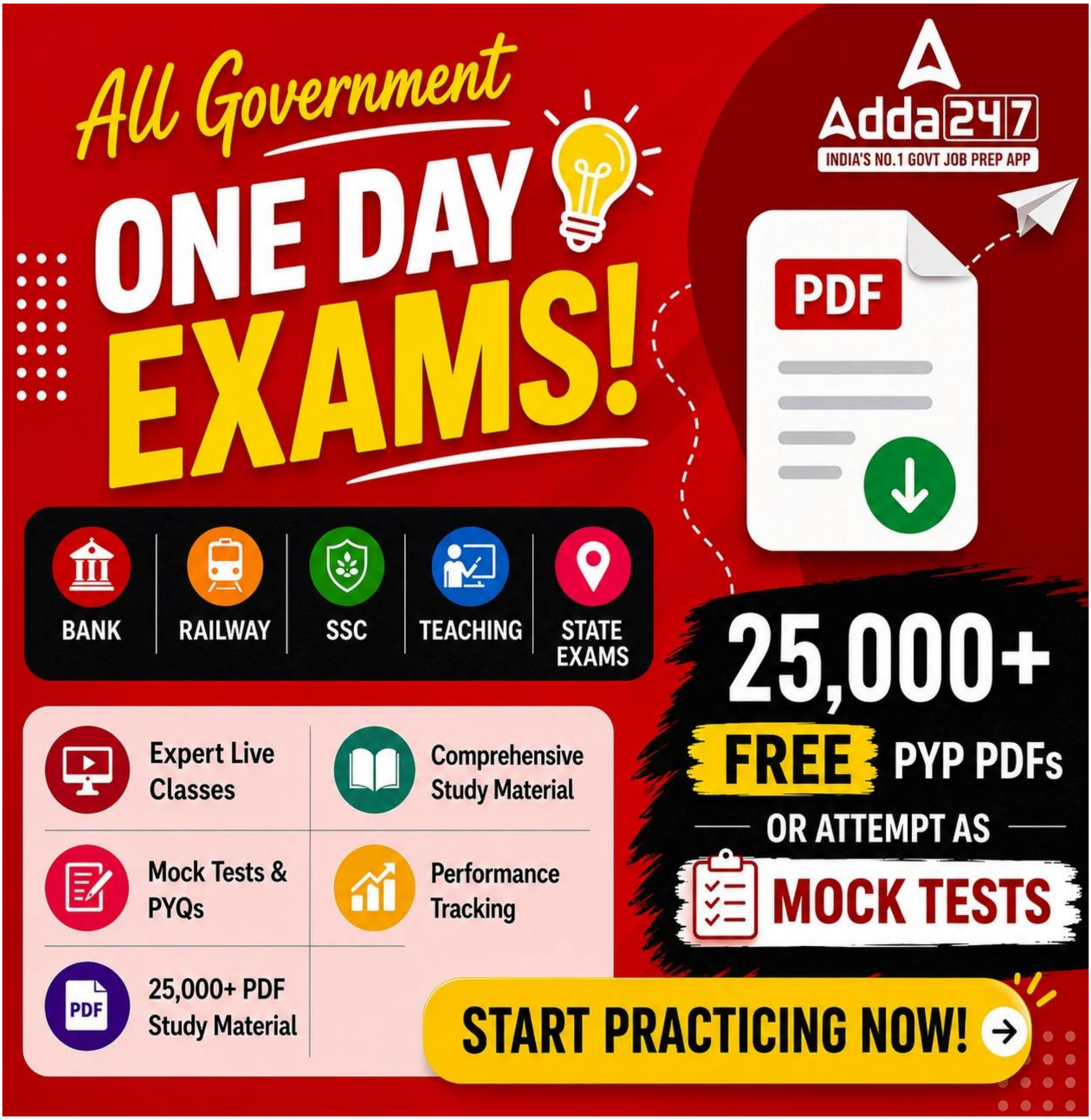

Adda247
GET IT ON Google Play

Daily Current Affairs Quiz 13 August 2026

Q1. ई-समुद्र पहल के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है?

(a) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(b) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(c) गृह मंत्रालय

(d) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

Ans.(b)

Sol. सही उत्तर (B) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है

व्याख्या:

• पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ई-समुद्र प्लेटफॉर्म की देखरेख करने वाले नोडल केंद्रीय मंत्रालय के रूप में कार्य करता है।

• MoPSW राष्ट्रीय डिजिटल समुद्री बुनियादी ढांचे के लिए नीति, रणनीतिक दिशा-निर्देश और वित्तपोषण तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

• मंत्रालय विजन 2030 और विजन 2047 के तहत भारत के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से डिजिटल गवर्नेंस प्रयासों का नेतृत्व करता है।

• यह एकीकृत समुद्री मानकों को लागू करने के लिए कार्यकारी एजेंसियों, पोर्ट ट्रस्टों, समुद्री बोर्डों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के बीच समन्वय करता है।

• ई-समुद्र परियोजना को संचालित करके, MoPSW का लक्ष्य एक आधुनिक, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-संचालित समुद्री क्षेत्र का निर्माण करना है।

Information Booster:

• पूर्व में पोत परिवहन मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, व्यापक जलमार्ग विकास पर जोर देने के लिए नवंबर 2020 में इसका नाम बदलकर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया था।

• मंत्रालय प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत भारत में प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासन करता है, और तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग की देखरेख करता है।

• MoPSW के तहत अधीनस्थ कार्यालयों और वैधानिक निकायों में नौवहन महानिदेशालय, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI), और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (IMU) शामिल हैं।

• MoPSW द्वारा निष्पादित प्रमुख कार्यक्रमों में सागरमाला, राष्ट्रीय जलमार्ग विकास और हरित टग संक्रमण कार्यक्रम (GTTP) शामिल हैं।

• मंत्रालय वैश्विक जहाज रीसाइक्लिंग, जहाज निर्माण और अंतरराष्ट्रीय नाविक रोजगार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है।

Additional Knowledge:

• इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विकल्प A): MeitY व्यापक राष्ट्रीय आईटी नीति, साइबर सुरक्षा ढांचे और डिजिटल गवर्नेंस वास्तुकला निर्धारित करता है, लेकिन समुद्री पोर्टलों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट नोडल मंत्रालय नहीं है।

• गृह मंत्रालय (विकल्प C): MHA वाणिज्यिक शिपिंग प्रशासन से अलग आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा पुलिसिंग की देखरेख करता है।

• नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (विकल्प D): MNRE सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन बिजली उत्पादन पर केंद्रित है, जो समुद्री प्रशासन सॉफ्टवेयर सिस्टम से असंबंधित है।

Q2. ई-समुद्र की कौन सी विशेषता नाविकों के लिए सत्यापन योग्य डिजिटल रोजगार समझौते प्रदान करती है?

(a) ई-नाविक

(b) सागर में योग

(c) डिजिटल नाविक रोजगार समझौता (d-SEA)

(d) सागर में सम्मान

Ans.(c)

Sol. सही उत्तर (C) डिजिटल नाविक रोजगार समझौता (d-SEA) है

व्याख्या:

• डिजिटल नाविक रोजगार समझौता (d-SEA) डिजिटल रूप से रोजगार अनुबंध जारी करने, हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया ई-समुद्र के भीतर एक विशेष मॉड्यूल है।

• यह नाविकों और जहाज मालिकों/मैनिंग एजेंसियों के बीच एक पारदर्शी, कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध प्रदान करता है, जिससे अनुबंध के साथ छेड़छाड़ या धोखाधड़ी की शर्तों को कम किया जा सकता है।

• रोजगार की शर्तों की प्रामाणिकता की गारंटी देने के लिए d-SEA में डिजिटल हस्ताक्षर और क्रिप्टोग्राफ़िक रूप से सुरक्षित सत्यापन शामिल है।

• अधिकारी, बंदरगाह निरीक्षक और विदेशी समुद्री निकाय क्यूआर कोड या ऑनलाइन पोर्टल लुकअप के माध्यम से अनुबंध विवरण को तुरंत सत्यापित कर सकते हैं।

• यह सुविधा अनिवार्य वेतन दरों, काम के घंटों और प्रत्यावर्तन खंडों का अनुपालन सुनिश्चित करके भारतीय समुद्री पेशेवरों की रक्षा करती है।

Information Booster:

• समुद्री श्रम सम्मेलन (MLC), 2006 के तहत नाविक रोजगार समझौते (SEA) अनिवार्य हैं, जो समुद्र में काम करने की उचित स्थिति सुनिश्चित करते हैं।

• रोजगार अनुबंधों को डिजिटल करने से फर्जी भर्ती एजेंसियां समाप्त हो जाती हैं जो अनधिकृत कटौती और फर्जी प्रस्तावों के माध्यम से नाविकों का शोषण करती हैं।

• d-SEA शिपिंग कंपनियों में वास्तविक समय में अनुबंध की शर्तों की निगरानी करने के लिए सरकारी नियामक अधिकारियों को सीधी पहुँच प्रदान करता है।

• डिजिटल समझौता बीमा दावों, वेतन विवाद निपटान और वीज़ा आवेदनों के लिए वैध आधिकारिक दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है।

• रोजगार दस्तावेज़ीकरण को डिजिटल रूप से सुव्यवस्थित करने से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों में शामिल होने वाले नाविकों के लिए ऑनबोर्डिंग में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है।

Adda247
GET IT ON Google Play

Additional Knowledge:

• ई-नाविक (विकल्प A): संकट में फंसे नाविकों के लिए 24/7 एकीकृत शिकायत निवारण और आपातकालीन SOS सहायता के लिए समर्पित मॉड्यूल, जो रोजगार अनुबंधों से अलग है।

• सागर में योग (विकल्प B): समुद्री श्रमिकों के लिए शारीरिक फिटनेस और तनाव प्रबंधन पर केंद्रित एक कल्याण और स्वास्थ्य संवर्धन अभियान है, न कि कोई अनुबंध प्रणाली।

• सागर में सम्मान (विकल्प D): भारतीय नाविकों के योगदान को सम्मानित करने वाली एक मान्यता और कल्याण पहल है, जो डिजिटल रोजगार समझौतों से अलग है।

Q3. नाविकों को एकीकृत शिकायत निवारण और आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी ई-समुद्र विशेषता डिज़ाइन की गई है?

(a) ई-नाविक

(b) डी-सी

(c) सागर में योग

(d) डिजिटल प्रमाणपत्र प्रणाली

Ans.(a)

Sol. सही उत्तर (A) ई-नाविक है

व्याख्या:

• ई-नाविक, विश्व स्तर पर काम करने वाले भारतीय नाविकों के लिए 24/7 जीवन रेखा के रूप में कार्य करने के लिए व्यापक ई-समुद्र पोर्टल के भीतर एकीकृत एक विशेष डिजिटल मॉड्यूल है।

• यह शिकायत निवारण के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे नाविक और उनके परिवार अवैतनिक वेतन, कठोर कामकाजी परिस्थितियों, परित्याग, या संविदात्मक विवादों से संबंधित समस्याओं की सीधे अधिकारियों को रिपोर्ट कर सकते हैं।

• इस विशेषता में रीयल-टाइम आपातकालीन SOS सहायता शामिल है, जो संकट में फंसे नाविकों को दुनिया भर में भारतीय राजनयिक मिशनों, तटीय सुरक्षा एजेंसियों और समुद्री अधिकारियों से जोड़ती है।

• ई-नाविक एक स्वचालित ट्रैकिंग प्रणाली प्रदान करता है जहां पंजीकृत शिकायतों को टिकट नंबर दिए जाते हैं, जिससे नाविक पारदर्शी रूप से समाधान की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।

• डिजिटल पहचान सत्यापन को एकीकृत करके, ई-नाविक यह सुनिश्चित करता है कि वास्तविक भारतीय समुद्री पेशेवरों को समुद्र में या विदेशी बंदरगाहों में रहते हुए त्वरित कानूनी, वित्तीय और रसद सहायता प्राप्त हो।

Information Booster:

• ई-समुद्र पहल एक प्रमुख डिजिटल परिवर्तन परियोजना है जिसे भारत में समुद्री प्रशासन, शासन और नाविक कल्याण में क्रांति लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• भारतीय नाविक वैश्विक समुद्री कार्यबल का लगभग 10% हिस्सा हैं, जिससे ई-नाविक जैसे स्वचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

• यह पोर्टल समुद्री श्रम सम्मेलन (MLC), 2006 के प्रावधानों के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय समुद्री श्रमिकों को रोजगार की स्थिति और स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में अधिकारों का लाभ मिले।

• विदेशी बचाव अभियानों में तेजी लाने के लिए ई-नाविक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) सहित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री निकायों के साथ सहयोग करता है।
• मॉड्यूल में लंबी समुद्री यात्राओं के दौरान नाविकों द्वारा सामना किए जाने वाले मानसिक तनाव को कम करने के लिए कल्याण परामर्श सहायता और परिवार आउटरीच सेवाएं भी शामिल हैं।

Additional Knowledge:

• डी-सी (विकल्प B): ई-समुद्र के भीतर डिजिटल नाविक रोजगार समझौता (Digital Seafarers Employment Agreement) विशेषता को संदर्भित करता है, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी डिजिटल रोजगार अनुबंध प्रदान करता है, जो आपातकालीन शिकायत निवारण से अलग है।
• सागर में योग (विकल्प C): समुद्री श्रमिकों के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक स्वास्थ्य और कल्याण जागरूकता पहल है, न कि कोई तकनीकी शिकायत या आपातकालीन प्रतिक्रिया मॉड्यूल।
• डिजिटल प्रमाणपत्र प्रणाली (विकल्प D): एक डिजिटल बुनियादी ढांचा मॉड्यूल है जो नाविकों के क्रेडेंशियल्स, लाइसेंस और योग्यता के प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करने और सत्यापित करने पर केंद्रित है।

Q4. ई-समुद्र प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(a) भारत भर में नए बंदरगाह विकसित करना

(b) समुद्री शासन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल और सुव्यवस्थित करना

(c) शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करना

(d) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को विनियमित करना

Ans.(b)

Sol. सही उत्तर (B) समुद्री शासन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल और सुव्यवस्थित करना है

व्याख्या:

• ई-समुद्र प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य भारत में समुद्री शासन के लिए एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल बनाना है।
• यह कागज़-आधारित प्रशासनिक वर्कफ़्लो, पोत पंजीकरण, नाविक लाइसेंसिंग और नियामक अनुपालन को एक एकीकृत इंटरफ़ेस के तहत डिजिटल करता है।
• प्लेटफ़ॉर्म भौतिक कागजी कार्रवाई को कम करके और वैधानिक अनुमोदन समय सीमा में तेजी लाकर पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाता है।
• ई-समुद्र जहाज मालिकों, नाविकों, बंदरगाह अधिकारियों और सरकारी नियामक एजेंसियों के बीच रीयल-टाइम डेटा साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है।
• समुद्री प्रशासन को सुव्यवस्थित करके, यह भारत के शिपिंग और समुद्री क्षेत्र के भीतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) को बढ़ाता है।

Information Booster:

• समुद्री प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा अनिवार्य वैश्विक मानकों के अनुरूप है।
• पोर्टल में डिजिटल प्रमाणपत्र, नाविक सत्यापन, पोत प्रबंधन प्रणाली और शिकायत ट्रैकिंग जैसे उप-मॉड्यूल हैं।
• केंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड धोखाधड़ी वाले दस्तावेज़ों को कम करते हैं, भारतीय ध्वज फहराने वाले जहाजों के लिए उच्च सुरक्षा और अनुपालन मानक सुनिश्चित करते हैं।

• प्लेटफ़ॉर्म नाविकों के समुद्री-समय के अनुभव, प्रमाणन नवीनीकरण और चिकित्सा फिटनेस रिकॉर्ड की स्वचालित ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।

• शासन को सुव्यवस्थित करने से समुद्री रसद के लिए परिचालन लागत कम हो जाती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय बंदरगाहों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ जाती है।

Additional Knowledge:

• भारत भर में नए बंदरगाह विकसित करना (विकल्प A): बुनियादी ढांचे के विकास और नए बंदरगाह निर्माण का प्रबंधन सागरमाला जैसी भौतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत किया जाता है, न कि प्रशासनिक सॉफ्टवेयर पोर्टल के तहत।

• शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करना (विकल्प C): वित्तीय सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाएं वित्त मंत्रालय और समुद्री विकास निधि के तहत वित्तीय नीतियों द्वारा शासित होती हैं।

• अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को विनियमित करना (विकल्प D): अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शर्तों, टैरिफ और सीमा शुल्क नियमों की देखरेख समुद्री प्रशासन पोर्टलों के बजाय वाणिज्य मंत्रालय और CBIC द्वारा की जाती है।

Q5. ई-समुद्र प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय समुद्री पहल के अनुरूप है?

(a) सागरमाला कार्यक्रम और भारतमाला परियोजना

(b) मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047

(c) पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति

(d) डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया मिशन

Ans.(b)

Sol. सही उत्तर (B) मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 है

व्याख्या:

• ई-समुद्र प्लेटफॉर्म सीधे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 में उल्लिखित रणनीतिक लक्ष्यों का समर्थन करता है।

• मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 बुनियादी ढांचे के विकास और प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से भारत के समुद्री क्षेत्र को बदलने के लिए शुरू किया गया एक व्यापक खाका है।

• मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 भारत को अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक प्रमुख वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करता है।

• ई-समुद्र प्रशासनिक वर्कफ़्लो को स्वचालित करके, बंदरगाह दक्षता को बढ़ाकर और नाविकों के कल्याण को सुनिश्चित करके इन विज़न के लिए डिजिटल रीढ़ के रूप में कार्य करता है।

• इन पहलों के साथ संरेखण डिजिटल संक्रमण को तेज करता है, रसद लागत को कम करता है, और सतत समुद्री विकास को बढ़ावा देता है।

Information Booster:

• मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 क्षेत्र की पूर्ण आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्गों में 150 से अधिक रणनीतिक पहलों की पहचान करता है।

• मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 बंदरगाह-आधारित औद्योगीकरण, हरित शिपिंग, स्मार्ट पोर्ट प्रौद्योगिकियों और जहाज निर्माण नेतृत्व में बड़े निवेश का लक्ष्य रखता है।

Adda247
GET IT ON Google Play

• ई-समुद्र जैसे पोर्टलों के माध्यम से समुद्री संचालन का डिजिटलीकरण प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर टर्नअराउंड समय को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• स्मार्ट समुद्री बुनियादी ढांचा विकसित करने से भारत को वैश्विक नाविकों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और अपनी वाणिज्यिक व्यापारी बेड़े की क्षमता का विस्तार करने में मदद मिलती है।

• एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म डीकार्बोनाइजेशन और सतत नीली अर्थव्यवस्था के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करते हैं।

Information Booster:

• सागरमाला कार्यक्रम और भारतमाला परियोजना (विकल्प A): सागरमाला बंदरगाह-आधारित विकास और तटीय शिपिंग पर केंद्रित है, जबकि भारतमाला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचा परियोजना है।

• पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति (विकल्प C): मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय रसद ढांचे जो सभी परिवहन मोड को शामिल करते हैं, जबकि ई-समुद्र विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र के ब्लूप्रिंट के साथ संरेखित है।

• डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया मिशन (विकल्प D): समुद्री-विशिष्ट क्षेत्र विजन के बजाय विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच और कौशल विकास के लिए व्यापक राष्ट्रीय अम्ब्रेला योजनाएं।